"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 299] रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 नवम्बर 2006—अग्रहायण 6, शक 1928

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक/5001/डी-15/239/2004-05/14-3.—कृषि उपज मंडी समिति पेण्ड्रा के कृपक प्रतिनिधि कृषक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-48/5 धनौली से निर्वाचित प्रतिनिधि श्रीमती वुधिया बाई द्वारा त्याग पत्र दिये जाने तथा जिला कलेक्टर बिलासपुर द्वारा दिनांक 29-9-2006 को स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 13वीं उपधारा 5 के अंतर्गत 06 माह के भीतर निर्वाचन किया जाना विहित है, जो दिनांक 23-3-2007 तक सम्पन्न होना आवश्यक है.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी निर्वाचन नियम 1997 की नियम 12 के उपनियम 4 के प्रावधान अनुसार इस कृषक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-48/5 का निर्वाचन वर्ष 2007 होने के फलस्वरूप 01 जनवरी 2007 की स्थिति में मतदाता सूची का पुनरीक्षण आवश्यक है तथा इसके फलस्वरूप राज्य शासन स्तर से सूचना दिनांक 22-11-2006 को जारी करना अनिवार्य हो गया था.

चूंकि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कोटा विधान सभा क्षेत्र के उपचुनाव हेतु अधिसूचना जारी किया जाकर निर्वाचन का कार्य प्रक्रियाधीन है. अत: दिनांक 22-11-2006 को उपरोक्त मंडी समिति के कृषक निर्वाचन के लिए राज्य शासन स्तर से आदेश जारी नहीं किये जा सकते हैं. ऐसी स्थिति में राज्य शासन कि राय है उपरोक्त वर्णित परिस्थितियां विद्यमान है, जिसके कारण कृषि उपज मंडी समिति पेण्ड्रा के कृषक निर्वाचन क्षेत्र के रिक्त हुए स्थान क्रमांक-48/5 धनौली का निर्वाचन वर्तमान में कराया जाना संभव नहीं है. अत: मंडी अधिनियम 1972 की धारा 57 (क) उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस निर्वाचन की कार्यवाही आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.